भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1569

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2025

अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना के अंतर्गत किया गया व्यय

1569. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2023-24 में अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत तेलंगाना सहित राज्य-वार किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में केंद्रीय बजट 2025-26 में एससीएसपी के लिए बजटीय आवंटन का, पेड्डापल्ली जैसे कोयला खनन क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए धनराशि सहित, ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी राज्यों, विशेषकर औद्योगिक निर्वाचन क्षेत्रों में एससीएसपी धनराशि के समान वितरण के लिए अपनाई गई पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(घ) दलित समुदायों तक लक्षित लाभ सुनिश्चित करने के लिए कोयला और विद्युत क्षेत्र के मंत्रालयों द्वारा एससीएसपी निधि के उपयोग हेतु स्थापित निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पेड्डापल्ली जैसे पीएसयू-बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों सम्बन्धी दलित व्यय में वृद्धि के प्रभाव संबंधी मूल्यांकन ढांचे का मूल्यांकन समय-सीमा सहित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): अनुसूचित जाति विकास कार्य योजना (डीएपीएससी)/अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,25,471.92 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। तेलंगाना सहित राज्यवार व्यय का विवरण **संलग्नक-।** में दिया गया है।

(ख): वित्त वर्ष 2024-25 में 1,65,492.72 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन की तुलना में केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2025-26 में डीएपीएससी/एससीएसपी के लिए 1,68,478.38 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का डीएपीएससी/एससीएसपी के अंतर्गत बजटीय आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 में 853.68 करोड़ रुपये है।

(ग): नीति आयोग ने 2014 में "राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजाति उप-योजना (टीएसपी) के लिए दिशानिर्देश, 2014" शीर्षक से दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत सभी राज्यों को अपने राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार धनराशि आवंटित करना आवश्यक है।

(घ) और (ङ): नीति आयोग ने वर्ष 2017 में "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी और डीएपीएसटी) के लिए अलग से निधियां निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश" जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक दायित्व प्राप्त मंत्रालय/विभाग निधियां आवंटित करता है तथा इन निर्दिष्ट निधियों में से क्रियान्वयन करने वाला मंत्रालय/विभाग औद्योगिक निर्वाचन क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को धनराशि वितरित करता है और उनकी निगरानी करता है। नीति आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, कोयला मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय डीएपीएससी के तहत अपने कुल योजना बजट का क्रमशः 8.3% और 16.6% आवंटित करने के लिए बाध्य हैं। वर्ष 2024-25 में, कोयला मंत्रालय ने (i) कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास (ii) अनुसंधान और विकास (iii) कोयला और लिग्नाइट की खोज योजनाओं में तथा विद्युत मंत्रालय ने रिफॉर्म लिंक्ड वितरण योजना में डीएपीएससी निधियों का आवंटन किया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं सचिव के स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। समीक्षा बैठकों में हुए विचार-विमर्श के आधार पर, डीएपीएससी के दायित्व प्राप्त मंत्रालयों/विभागों को अपनी योजनाएँ इस प्रकार तैयार करने की सलाह दी जाती है कि कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले हितलाभों के अंतर्गत अधिक से अधिक लाभार्थियों को कवर किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, डीएपीएससी द्वारा दायित्व प्राप्त सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ निरंतर प्रयास और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, जिसमें समीक्षा बैठकें आयोजित करना, अनुवीक्षण करना, पत्र लिखना आदि शामिल है ताकि डीएपीएससी के अंतर्गत निर्धारित आवंटन का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

संलग्नक-I

डीएपीएससी/एससीएसपी के अंतर्गत किए गए व्यय के संबंध में श्री वामसि कृष्णा गद्दाम द्वारा लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1569 जिसका उत्तर दिनांक 29.07.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

क्र.सं.	राज्य	व्यय की गई राशि (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.0386
2	आंध्र प्रदेश	3,074.8348
3	अरुणाचल प्रदेश	65.9982
4	असम	2,384.1572
5	बिहार	5,686.0822
6	चंडीगढ़	27.3918
7	छतीसगढ़	2,296.3724
8	दिल्ली	31,742.6836
9	गोवा	292.9172
10	गुजरात	2,003.7498
11	हरियाणा	2,207.9592
12	हिमाचल प्रदेश	967.5463
13	जम्मू और कश्मीर	942.0391
14	झारखंड	1,713.8837
15	कर्नाटक	4,585.8794
16	केरल	1,590.4769
17	लद्दाख	1.3086
18	लक्षद्वीप	0.0017
19	मध्य प्रदेश	7,173.0105
20	महाराष्ट्र	8,259.6190
21	मणिपुर	145.7598
22	मेघालय	170.892
23	मिजोरम	58.1888
24	नागालैंड	41.2177
25	ओडिशा	4,032.9569
26	पुदुचेरी	60.6715
27	पंजाब	1,561.8485
28	राजस्थान	5,973.1954
29	सिक्किम	53.9656
30	तमिलनाडु	7,231.9642
31	तेलंगाना	4,655.8957
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1.7801
33	त्रिपुरा	773.164
34	उत्तर प्रदेश	19,722.1975
35	उत्तराखंड	1,500.7324
36	पश्चिम बंगाल	4,471.5384
	कुल	**125,471.9187**

*****